



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE FEDERAL CHANCELLERY OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA
AND
THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDIA
CONCERNING
COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE AND THE ARTS
FOR THE YEARS 2016 - 2021

The Federal Chancellery of the Republic of Austria and the Ministry of Culture of the Republic of India, hereinafter referred to as "Participants":

desiring to strengthen the cooperation of both countries in the fields of the arts and culture and the friendly and traditional relations between the Austrian and Indian people;

have reached the following understanding:

Article 1

Both Participants welcome cooperation in the fields of culture and the arts based on the principles of mutual respect and partnership.

Article 2

Both Participants encourage direct cooperation and exchange of experts, artists, ensembles, etc. in the field of contemporary art, in the area of visual art, traditional art, music, literature, film, theatre, photography, architecture and design.

Concrete proposals, actions and details will be discussed between the responsible institutions and organizations of their countries.

Article 3

Both Participants encourage direct cooperation and exchange of solo and group exhibitions between public cultural organizations, museums, libraries, archives and other cultural institutions of their countries.

Article 4

Both Participants welcome the organization of bilateral seminars, symposia and conferences at expert level, to study issues related to the preservation of cultural heritage and to promote other forms of cooperation in the field of heritage protection, conservation and development of museums.

Article 5

Both Participants will exchange information and experience as regards their cultural policies including the museum sector.

Article 6

Both Participants encourage cooperation between museums on the basis of the legal provisions of their countries. The museums concerned will be responsible for the practical implementation of cooperation projects and any related agreements, making allowance for organizational lead times and for the limits of their budgetary resources.

The cooperation between individual museums will be realized through the exchange of museum experts, cooperation in the field of museum research, exchange of experience on the initial and ongoing training of museum experts and transfer of technology and knowledge (know-how transfer).

Both Participants welcome the continuation and intensification of the cooperation between the Institute of Conservation at the University of Applied Arts Vienna and the National Museum Institute in New Delhi.

Article 7

Both Participants encourage their representatives to take part in festivals, international meetings, conferences, seminars, cultural events and competitions on cultural matters organized by the other Participant. Both Participants will inform each other about the programmes, dates and conditions of participation in such cultural events.

Article 8

Both Participants stress the importance of the UNESCO "Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions" as well as the "Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage". Both Participants aim at strengthening their bilateral cooperation for the creation of conditions conducive to the promotion of these Conventions.

Article 9

Both Participants will encourage ways to prevent illegal trafficking of Cultural properties on the basis of legal provision of their countries.

Article 10

Within the limits of their budgetary resources, both Participants will, in the course of the duration of the present Memorandum, carry out an exchange of artists and experts in the field of contemporary art, visual arts, literature, film, architecture and design, theatre, dance and music.

Article 11

Both Participants declare their willingness to invite every third year and on a mutual basis two artists each, active in the field of visual arts/photography in the other country, for three-months stay as artists in residence.

Article 12

The exchange of artists, culture, art and educational experts between both Participants will be conducted subject to the following terms and conditions:

- the sending Participant will submit, in advance, to the receiving Participant the required documents on the persons sent, including the information about the desired programme for the visit and, after obtaining confirmation from the receiving Participant that the proposed persons are welcome, will, as soon as possible, notify it of the exact dates of arrival;
- the sending Participant will cover the international travel costs, while the receiving Participant will take care of other expenses related to the activities of the artists and/or experts on the territory of that country;
- both Participants will provide free accommodation and local transport upon which an understanding will be reached in advance;
- in accordance with this Memorandum of Understanding and with respect to international experience, the institutions concerned will

- directly agree on the conditions for the exchange of exhibitions, artists and experts;
- pursuant to this Memorandum of Understanding, artists and experts may go to the countries of both Participants only after their health insurance and accident insurance costs have been covered by the sending Participant.

Article 13

This Memorandum of Understanding will become effective on the day of its signature and will remain effective until 31 December 2021. The Memorandum of Understanding may be extended upon mutual written agreement of both Participants.

Article 14

Either Participant may cancel this Memorandum of Understanding by a written notification. The cancellation will become effective six months after the day of receipt of the written notification by the other Participant or such later date as may be specified in the notification. The cancellation of this Memorandum of Understanding will not affect the implementation of the programmes and projects upon which both Participants have reached an understanding.


Article 15

This Memorandum of Understanding will not create obligations under international law and it will not affect national legislation or obligations assumed by the countries in accordance with the international law.

Signed in on 2016, in two original copies in the English language.



For the
Minister of Culture
of the Republic of India



For the Federal Minister
for Arts and Culture,
Constitution and Media
of the Republic of Austria

भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय
और
ऑस्ट्रिया गणराज्य के फेडरल चांसलरी
के बीच
वर्ष 2016-2021 के लिए
संस्कृति और कला के क्षेत्रों में सहयोग
संबंधी
समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और ऑस्ट्रिया गणराज्य की फेडरल चांसलरी, जिन्हें इसके पश्चात् "भागीदार" के रूप में उल्लिखित किया गया है :

भारतीय और ऑस्ट्रियाई जनता के बीच कला और संस्कृतितथा मैत्रीपूर्ण एवं पारंपरिक संबंधों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने की इच्छा से प्रेरित होकर :

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

दोनों भागीदार, पारस्परिक सम्मान और भागीदारी के सिद्धांतों के आधार पर संस्कृति और कला के क्षेत्रों में सहयोग का स्वागत करते हैं।

अनुच्छेद 2

दोनों भागीदार दृश्य कला, पारंपरिक कला, संगीत, साहित्य, फिल्म, रंगमंच, फोटोग्राफी, स्थापत्य कला और डिजाइन के क्षेत्र में, समकालीन कला के क्षेत्र के विशेषज्ञों, कलाकारों, कलाकार मंडलियों आदि के प्रत्यक्ष सहयोग और आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

मूर्त प्रस्तावों, कार्यों और ब्यौरों के विषय में उनके देशों के उत्तरदायी संस्थाओं और संगठनों के बीच विचार-विमर्श किया जाएगा।

अनुच्छेद 3

दोनों भागीदार, अपने-अपने देशों के सार्वजनिक सांस्कृतिक संगठनों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, अभिलेखागारों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच एकल एवं समूह प्रदर्शनियों के प्रत्यक्ष सहयोग और आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 4

दोनों भागीदार, सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और संग्रहालयों की विरासत सुरक्षा, संरक्षण और विकास के क्षेत्र में सहयोग के अन्य रूपों को संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ स्तर पर द्विपक्षीय संगोष्ठियों, विचार गोष्ठियों और सम्मेलनों के आयोजन का स्वागत करते हैं।

अनुच्छेद 5

दोनों भागीदार, संग्रहालय क्षेत्रक सहित अपनी सांस्कृतिक नीतियों के संबंध में सूचना और अनुभव का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 6

दोनों भागीदार, अपने-अपने देशों के कानूनी उपबंधों के आधार पर संग्रहालयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। संबंधित संग्रहालय सहयोग परियोजनाओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन और कोई भी संबंधित समझौते करने, संगठनात्मक समय सीमा के लिए भत्ता देने और अपने बजटीय संसाधनों की सीमाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

अलग-अलग संग्रहालयों के बीच सहयोग संग्रहालय विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, संग्रहालय अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग, संग्रहालय विशेषज्ञों के प्रारंभिक और जारी प्रशिक्षण पर अनुभव का आदान-प्रदान तथा प्रौद्योगिकी और ज्ञान के हस्तांतरण (तकनीकी हस्तांतरण) के माध्यम से प्राप्त किए जायेंगे।

दोनों भागीदार, अनुप्रयुक्त कला विश्वविद्यालय, विएना के संरक्षण संस्थान और राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के बीच सहयोग जारी रखने और इसे बढ़ाने का स्वागत करते हैं।

अनुच्छेद 7

दोनों भागीदार, अन्य भागीदार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक मामलों संबंधी उत्सवों, अंतरराष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, सांस्कृतिक घटनाक्रमों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करेंगे। दोनों भागीदार, ऐसे सांस्कृतिक घटनाक्रमों में भाग लेने संबंधी कार्यक्रमों, तारीखों और शर्तों के विषय में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 8

दोनों भागीदार, यूनेस्को की "सांस्कृतिक अभिव्यक्ति विविधता संरक्षण एवं संवर्धन संधि" तथा "अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षोपाय संबंधी संधि" के महत्व पर बल देते हैं। दोनों भागीदार इन संधियों को

बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु अपने द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखते हैं।

अनुच्छेद 9

दोनों भागीदार अपने-अपने देशों के कानूनी प्रावधानों के आधार पर सांस्कृतिक सम्पदाओं के अवैध क्रय-विक्रय को रोकने के उपायों को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 10

दोनों भागीदार, अपने-अपने बजटीय ससाधनों की सीमाओं में रहते हुए वर्तमान समझौते की अवधि के दौरान समकालीन कला, दृश्य कलाओं, साहित्य, फिल्म, स्थापत्य एवं डिजाइन, रंगमंच, नृत्य एवं संगीत के क्षेत्रों में कलाकारों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 11

दोनों भागीदार, पारस्परिक आधार पर प्रत्येक तीसरे वर्ष एक-दूसरे के देश में दृश्य कलाओं/फोटोग्राफी के क्षेत्र में सक्रिय प्रत्येक से दो-दो कलाकारों को अतिथि कलाकार के रूप में तीन महीने के प्रवास हेतु आमंत्रित करने पर अपनी सहमति की घोषणा करते हैं।

अनुच्छेद 12

दोनों भागीदारों के बीच कलाकारों, संस्कृति, कला एवं शैक्षिक विशेषज्ञों का आदान-प्रदान किया जाएगा, जो निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन होगा :

- प्रेषक भागीदार अग्रिम रूप में मेजबान भागीदार को भेजे जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसमें दौरों के लिए वांछित कार्यक्रम की सूचना शामिल होगी और मेजबान भागीदार से प्रस्तावित व्यक्तियों की मेजबानी संबंधी पुष्टि प्राप्त हो जानेके बाद प्रेषक पक्ष यथाशीघ्र दूसरे पक्ष को आगमन की वास्तविक तारीख की सूचना देगा।
- प्रेषक भागीदार अन्तरराष्ट्रीय यात्रा व्ययों का वहन करेगा जबकि मेजबान भागीदार अपने देश के सीमाक्षेत्र में कलाकारों और/अथवा विशेषज्ञों के कार्यकलापों संबंधी अन्य खर्चों का वहन करेगा।
- दोनों भागीदार मुफ्त आवास एवं स्थानीय परिवहन की सुविधा प्रदान करेंगे जिसके संबंध में अग्रिम रूप से सहमति बनाई जाएगी।
- इस समझौता ज्ञापन के अनुसार तथा अन्तरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर संबंधित संस्थान प्रदर्शनियों, कलाकारों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान हेतु शर्तों पर प्रत्यक्ष रूप से सहमत होंगे।

- इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, कलाकार और विशेषज्ञ, दोनों भागीदारों के देशों में केवल तभी जा सकते हैं जब प्रेषक भागीदार द्वारा उनके स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा की लागतों को कवर किया जा चुका हो।

अनुच्छेद 13

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा तथा 31 दिसंबर, 2021 तक प्रभावी रहेगा। इस समझौता ज्ञापन की अवधि को, दोनों भागीदारों की आपसी लिखित सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

अनुच्छेद 14

दोनों में से कोई भी भागीदार इस समझौता ज्ञापन को एक लिखित अधिसूचना के माध्यम से रद्द कर सकता है। यह रद्दकरण दूसरे भागीदार द्वारा लिखित अधिसूचना की प्राप्ति के दिन या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट बाद की किसी अन्य तारीख से छह माह पश्चात् प्रभावी होगा। इस समझौता ज्ञापन के रद्दकरण से उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन पर दोनों ही भागीदार सहमति कायम कर चुके हों।

अनुच्छेद 15

यह समझौता ज्ञापन अंतरराष्ट्रीय कानून के अधीन किसी प्रकार के उत्तरदायित्वों का सृजन नहीं करेगा और यह, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार दोनों देशों द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय विधियों या उत्तरदायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

इस कार्यक्रम पर दिनांक -----2016 को -----में, हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषाओं में, प्रत्येक की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए।

रुन.के.सिन्हा

[Handwritten Signature]

भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्री की ओर से

ऑस्ट्रिया गणराज्य के कला एवं संस्कृति,
संविधान और मीडिया संघ मंत्री की ओर से